



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 126533-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 11195 वर्ष 2026

गिराज

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : नागेंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 40

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों की मांग की है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) 'सर्टिओरारी' की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करके, संभल जिले के राजपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 312/2025 (बी.एन.एस. की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) और यू.पी. आबकारी अधिनियम की धारा 60, 72 के तहत) की 22.07.2025 की विवादित एफ.आई.आर. को रद्द किया जाए।

(ii) मैडमस के तहत कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता को 22.07.2025 की विवादित एफ.आई.आर. (मुकदमा अपराध संख्या 312/2025, बी.एन.एस. की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) और यू.पी. आबकारी अधिनियम की धारा 60, 72 के तहत; थाना राजपुरा, जिला-संभल) में गिरफ्तार न करे।

सरकारी अधिवक्ता (ए.जी.ए.) का कहना है कि एफ.आई.आर. में बताए गए अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता समेत आरोपी व्यक्तियों ने दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित किया था। मृतका की मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई। मेडिकल रिपोर्ट में गले पर फंदे के निशान के अलावा, मौत से पहले लगी चोटों का भी जिक्र है। घटना से 18 महीने पहले मृतका की शादी हुई थी। प्रथम दृष्टया धारा 304बी के तहत अपराध के सभी ज़रूरी तत्व मौजूद हैं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री नागेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि याचिकाकर्ता को झूठे मामले में फंसाया गया है और वह अलग रहता है।

इस मामले पर आगे बात करते हुए, विद्वान ए.जी.ए. का कहना है कि एफ.आई.आर. और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया अपराध का होना साबित होता है और इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। जांच चल रही है। इस स्टेज पर याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से जांच में रुकावट आएगी, सबूत खो सकते हैं या गायब हो सकते हैं, और यह सर्वोच्च न्यायालय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के उन फैसलों के खिलाफ होगा जो 'हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल' (1992 सप्प (1) एससीसी 335) और 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य' ((2021) 19 एससीसी 401) मामलों में दिए गए थे।

भजन लाल (सर्वोच्च) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

“102. कोड के चैप्टर XIV के तहत अलग-अलग ज़रूरी प्रावधानों की व्याख्या और आर्टिकल 226 के तहत असाधारण शक्ति या कोड की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के इस्तेमाल से जुड़े कई फैसलों में इस न्यायालय द्वारा बताए गए कानूनी सिद्धांतों (जिन्हें हमने ऊपर बताया है) को ध्यान में रखते हुए, हमने उदाहरण के तौर पर ऐसे मामलों की कैटेगरी बताई हैं जिनमें ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है - या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए या फिर न्याय सुनिश्चित करने के लिए। हालांकि, ऐसे मामलों की कोई सटीक, साफ-सुथरी, अच्छी तरह से तय और न बदलने वाली गाइडलाइन या कड़े नियम बनाना, या ऐसे अनगिनत मामलों की पूरी लिस्ट देना जिनमें ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मुमकिन नहीं है।

(1) जहाँ एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों को, भले ही उन्हें ज्यों का त्यों और पूरी तरह से सच मान लिया जाए, फिर भी वे पहली नज़र में कोई अपराध नहीं बनाते या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाता।

(2) जहाँ एफ.आई.आर. और उसके साथ मौजूद अन्य सामग्री (यदि कोई हो) से किसी ऐसे संज्ञेय अपराध का पता नहीं चलता, जिसके लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा 156(1) के तहत जांच करना उचित हो; सिवाय तब जब मजिस्ट्रेट का धारा 155(2) के तहत कोई आदेश हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(3) जहाँ एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए बिना विवाद वाले आरोपों और उनके समर्थन में इकट्ठा किए गए सबूतों से किसी अपराध के होने का पता नहीं चलता और न ही आरोपी के खिलाफ कोई मामला बनता है।

(4) जहाँ एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की जा सकती, जैसा कि कोड की धारा 155(2) में बताया गया है।

(5) जहाँ एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हों कि उनके आधार पर कोई भी समझदार व्यक्ति इस सही नतीजे पर न पहुँच सके कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहाँ कोड या संबंधित एक्ट (जिसके तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है) के किसी प्रावधान में कार्रवाई शुरू करने और उसे जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक हो और/या जहाँ कोड या संबंधित एक्ट में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए असरदार समाधान का कोई खास प्रावधान हो।

(7) जहाँ आपराधिक कार्रवाई साफ तौर पर दुर्भावनापूर्ण हो और/या जहाँ कार्रवाई दुर्भावना से, आरोपी से बदला लेने और निजी या व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने के मकसद से शुरू की गई हो।

103. हम यह चेतावनी भी देते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम और सावधानी से किया जाना चाहिए, और वह भी बहुत ही दुर्लभ मामलों में; न्यायालय के लिए एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या असलियत की अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जांच करना सही नहीं होगा; और असाधारण या निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मर्जी या सनक के अनुसार काम करने का मनमाना अधिकार नहीं देती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने **निहारिका (उपरोक्त)** मामले में कानून को इस प्रकार स्पष्ट किया:

"33.16. सीआरपीसी की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, किसी मामले को रद्द करने की याचिका पर अंतरिम आदेश देते समय हाई न्यायालय को ऊपर बताए गए पैमानों और/या पहलुओं पर विचार करना होगा। हालाँकि, याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश बहुत सावधानी से दिया जा सकता है।" ऐसा अंतरिम आदेश आम तौर पर, बिना सोचे-समझे या यांत्रिक तरीके से पास नहीं किया जाना चाहिए। आम तौर पर, जब जांच चल रही हो, तथ्य स्पष्ट न हों और सारा सबूत या सामग्री हाई न्यायालय के सामने न हो, तो हाई न्यायालय को गिरफ्तारी न करने या "कोई कठोर कदम न उठाने" का अंतरिम आदेश देने से बचना चाहिए। ऐसे में आरोपी को सक्षम न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत केस रद्द करने की याचिका को खारिज या निपटाते समय, हाई न्यायालय को जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक या सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट/चार्ज-शीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी न करने या "कोई कठोर कदम न उठाने" का आदेश नहीं देना चाहिए; ऐसा आदेश देना उचित नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भजन लाल (उपरोक्त) और निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले इस केस के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्ताओं को कोई भी अंतरिम सुरक्षा देने से रोकते हैं।

एफ.आई.आर. को रद्द करने की मांग भी उन्हीं कारणों से अस्वीकार कर दी गई है।

रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

10 जून, 2026

आशीष त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति अजय भनोट) (न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।